

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::


भोपाल दिनांक 12/09/2023

क्र. एफ 16-39/2022/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स पारले एगो प्रायवेट लिमिटेड द्वारा न्यू इण्डस्ट्रियल एरिया जोन-2, मण्डीदीप, जिला रायसेन में रूपये 340.86 करोड के स्थाई पूंजी निवेश से डेयरी एवं फल आधारित पेय पदार्थ, रेडी-टू- सर्वफ्रूट ड्रिंक निर्माण इकाई में विस्तार संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2203040003) पर निम्नानुसार सुविधायें दी जाये -

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता- उद्योग सवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 20 प्रतिशत की स्थिर दर से, बिना किसी सीमा के, शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।
2. विद्युत टैरिफ में रियायत- परियोजना अंतर्गत स्थापित विद्युत कनेक्शन पर विस्तार हेतु लिए गए अतिरिक्त भार/ नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रूपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जायेगी।
3. स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति - परियोजना हेतु लीज पर प्राप्त की गई भूमि के पट्टाविलेख पर चुकाई गयी स्टांप ड्यूटी की 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति की जाये।
4. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।
5. इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत एमपीआईडीसी में आवेदन प्रस्तुत करने पर स्वीकृत सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।
6. परियोजना को उद्योग सवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
7. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

से तथा आदेशानुसार



(संजय कुमार शुक्ल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन


औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
निरंतर.....

पृ. क्र. एफ 16-39/2022/ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 12/09/2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 3. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
 4. कलेक्टर, जिला- रायसेन।
 5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
 6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स पारले एगो प्रा. लि., Off Western Express Highway, Sahar-Chakala Road, Parsiwada, Andheri (E) Mumbai - 462046.
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग